

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम
ता
अ
इ
ता
ज

7/5/2026 पत्रावली पेश हुई | विपरीगण (1, 3, 4) की
बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे संलग्न
पत्रावली किया गया | समस्त विपरीगणों (1, 3, 4)
को 3-बार आवाज लगाई गई | परन्तु
कोई उपस्थित नहीं हुआ | विपरीगणों (1, 3, 4)
के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित
किए गए | पत्रावली में आदेश पारित
किए गए | पत्रावली में आदेश पालनार्थ
तहसील्दार विजोसियां को लिखा जावे |
पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो |



J
उप खण्ड अधिकारी
विजोसियाँ जिला-मौलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :-

62/26

तारीख दायर 2/4/26

1. सीता पत्नि राधेश्याम जाति व्यास उम्र बालिग निवासी श्यामपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राज.

.....प्रार्थीया

बनाम

1. कजोड पिता भेरु जाति बलाई उम्र 65 साल निवासी धनवाडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज.
2. दुर्गेश पिता मांगीलाल जाति व्यास उम्र 60 साल निवासी श्यामपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राज.
3. नृसिंह भगवान का मन्दिर खातेदार निवासी धनवाडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज 0
4. श्रीमान तहसीलदार साहब बिजौलियाँ

.....विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 रा0ले0रे0 एकट

:-आदेश:-

दिनांक :- 7/5/26

प्रार्थनापत्र प्रार्थी सीता ने जरिये अभिभाषक श्री दिपक मीणा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि मौजा ग्राम धनवाडा पटवार हल्का माल का खेडा तहसील बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या 694 पर स्थित आराजी संख्या 917 कुल किता 1 रकबा 0.3318 हैक्टेयर भुमि,, स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया ग्राम मौजा ग्राम धनवाडा पटवार हल्का माल का खेडा तहसील बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या 694 पर स्थित आराजी संख्या 917 कुल किता 1 रकबा 0.3318 हैक्टेयर भुमि,, की बशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 62/26

तारीख दायर 2/4/26

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 62/26

पत्थरगढी बाबत।

1. सीता पत्नि राधेश्याम जाति व्यास उम्र बालिग निवासी श्यामपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राज.

.....प्रार्थीया

बनाम

1. कजोड पिता भेरु जाति बलाई उम्र 65 साल निवासी धनवाडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज.
2. दुर्गेश पिता मांगीलाल जाति व्यास उम्र 60 साल निवासी श्यामपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राज.
3. नृसिंह भगवान का मन्दिर खातेदार निवासी धनवाडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज0
4. श्रीमान तहसीलदार साहब बिजौलियाँ

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम धनवाडा पटवार हल्का माल का खेडा तहसील बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या 694 पर स्थित आराजी संख्या 917 कुल किता 1 रकबा 0.3318 हैक्टेयर भुमि,, की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ